वर्ष 2015–16 के लिए वाणिज्यिक कर विभाग मध्यप्रदेश हेतु किराये के वाहनों संबंधी दिशा निर्देश एवं शर्तें

वाणिज्यिक कर विभाग को शासन से प्राप्त वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु स्वीकृती अनुसार मुख्यालय, इन्दौर हेतु (इंजन 1000 सी.सी. तथा इससे अधिक क्षमता वाले) 14 वाहनों (जिसका विस्तृत विवरण नीचे अंकित है) के लिए एक–मुश्त मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जा रही है।

क्र.	डीजल वाहन का प्रकार	किलोमीटर	वाहनों की संख्या	अधिकारी संवर्ग
1.	इण्डिगो सीएस/अन्य	1000	10	अपर आयुक्त
2.	टाटा विस्टा	1000	04	उपायुक्त, सहायक आयुक्त एवं समकक्ष
कुल			14	

निविदा हेतु शर्तें निम्नानुसार है :–

1. निविदाकर्ता द्वारा दो बंद लिफाफों में जानकारी प्रस्तुत की जायेगी :– (A) अर्नेस्ट मनी एवं अन्य सम्पूर्ण जानकारी। (B) प्रस्तावित वाहनों की दरें।

   मूलतः प्रपत्र लिफाफा निविदाकर्ताओं के सामने खोला जायेगा एवं प्रपत्र में योग्य पाये जाने पर ही दुसरा लिफाफा (वित्तीय निविदा) खोला जायेगा।

2. वाहन मालिक/संस्था सर्विस टैक्स देने की पात्रता रखता हो तथा वाहन मालिक/संस्था का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में पंजीयन (पन्द्रह डिजिट का कोड़ नं.) होना चाहिए। सेवाकर हेतु पंजीकृत न होने की दशा में संस्था/फर्म द्वारा टैक्सी सेवाओं को प्रचलित नियमों में अनुमत्य होने संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस हेतु विगत वर्ष चुकाएं सर्विस टैक्स का चालान प्रमाण स्वरूप टेंडर के साथ संलग्न करें।

3. निविदाकर्ता फर्म/स्वयं के नाम से कम से कम 5 वाहन पंजीकृत होना चाहिए। निविदा दिनांक को फर्म के अधीन वाहनों का विवरण संलग्न पत्रक में प्रस्तुत करें। 5 वाहनों की जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत करें–

क्र.	फर्म का नाम	वाहन का पंजीयन नंबर	पंजीयन जारीकर्ता
1			
2			
3			
4			
5			

4. वाहन मॉडल 2013 से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए व अच्छी हालत में होना चाहिए एवं उसे क्षेत्रिय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में पंजीयत होना चाहिए।

5. मासिक दरों के अतिरिक्त आवेदन के साथ वाहन प्रतिदिन स्थानीय व जिले के बाहर प्रवास हेतु दरें कर रहित भी पृथक से दर्शाई जाए।

6. मासिक किराये के तहत वाहन का अधिकतम उपयोग पत्रक अनुसार प्रतिमाह 1000 कि.मी. होगा। किसी माह में प्रवास की स्थिति में न्यूनतम 1000 कि.मी. से अधिक उपयोग होने पर अतिरिक्त किलोमीटर हेतु प्रति किलोमीटर किराया पृथक से देय होगा। मासिक दर में प्रवास 30 प्रतिशत प्रावधानित मानते हुए न्यूनतम दरों हेतु गणना की जायेगी।

7. वाहन डीजल एवं ड्रायवर सहित उपलब्ध कराना होगा। वाहन आवंटित अधिकारी के निवास पर ही रखा जावेगा। सुरक्षित रखवाने की जवाबदारी आवंटित अधिकारी की होगी। यदि वाहन अधिकारी के निवास पर नही रखा जाता है, तो उस वाहन का भुगतान नही किया जायेगा।

8. वाहन किराये पर देने वाली एजेन्सी द्वारा सम्पूर्ण माह के लिये (अवकाश दिवसों सहित) 12 घंटे वाहन, वाहन चालक सहित किराये पर उपलब्ध कराया जाएगा। यदि किसी दिन वाहन उपलब्ध नही हुआ तो प्रत्येक दिवस के लिए रूपये 1000/– (रूपये एक हजार मात्र) के मान से भुगतान में कटौती की जाएगी।

9. वाहन चालक के अवकाश पर रहने की स्थिति में दुसरा वाहन चालक उपलब्ध नही कराया जाता है तो राशि रू. 400/– प्रतिदिन की दर से भुगतान में से कटौत्री की जावेगी।

10. वाहनों का नियमित रूप से मैन्टेनेंस किया जाना आवश्यक है तथा वाहन में फ्यूल, मैन्टेनेन्स, वाहन चालक का एवं अन्य समस्त व्यय वाहन किराये पर देने वाली एजेन्सी द्वारा वहन किया जाएगा।

11. वाहन चालक टैक्सी वाहन चलाने का लायसेंस धारी होना चाहिए तथा उसका आचरण शालीन होना चाहिए। उसके विरूद्ध किसी भी थाने (पुलिस) पर अपराध प्रकरण पंजीबद्ध नही होना चाहिये। इस आशय का शपथपत्र निविदाकर्ता को देना होगा तथा टैक्सी वाहन प्रदायकर्ता के विरूद्ध कोई अपराधिक मामला लंबित नही होना चाहिये। इस आशय का लिखित कथन प्रस्तुत करना होगा।

12. (A)किराए पर प्राप्त किए जाने वाला वाहन बीमित (Insured) होगा एवं वाहन के साथ कोई दुर्घटना होने की स्थिति में समस्त प्रकार का उत्तरदायित्व वाहन किराए पर देने वाली एजेन्सी का होगां

    (B)वाहन की चोरी या क्षतिग्रस्त होने पर समस्त कानूनी कार्यवाही का उत्तरदायित्व सबंधित एजेन्सी का होगा।

13. निविदाकर्ता का आयकर विभाग में पंजीयत होना अनिवार्य है। विगत दो वर्षो की आयकर विवरणी निविदा के साथ संलग्न करें। संस्था के देय मासिक भुगतान पर भुगतान योग्य आयकर का स्त्रोत पर कटौत्रा किया जावेगा। सेवाकर का भुगतान संस्था द्वारा नियमानुसार जमा किया जावेगा एवं उसकी पावती कार्यालय में जमा करायी जाना होगी।

14. वाहनों की संख्या तथा किराये पर लेने की अवधि आवश्यकता अनुसार कम अथवा अधिक की जा सकती है, जिसकी सूचना कम से कम 15 दिवस पूर्व में दी जायेगी। यदि वाहन माह में 24 दिवस तक ही उपयोग किया जाता है तो पूरा मासिक किराया देय होगा। आगामी वर्ष के लिये निविदा प्रक्रिया संपन्न नही होने की स्थिति में दोनों पक्षों की अपनी सहमति से पुरानी शर्तो पर निविदा आधीकतम दो बार बड़ाई जा सकेगी। इस संबंध में आयुक्त, वाणिज्यिक कर म.प्र. का निर्णय अंतिम होगा।

15. वाहन की टूट – फूट होने पर रिपेयरिंग का खर्च, नियमित रिपेयरिंग एवं सर्विसिंग आदि का व्यय वाहन मालिक को करना होगा। खराब होने की स्थिति में अन्य वाहन (अच्छी हालत में) उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि तीन दिवस तक लगातार वाहन उपलब्ध नही कराया जाता है तो उक्त वाहन के मासिक किराये का 1/3 (एक तिहाई) राशि कटौत्रा किया जावेगा।

16. निविदाकारों को टैक्सी संचालन हेतु क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में पंजीयन होना अनिवार्य है। तद्‌आशय का प्रमाण पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करें। इसके अभाव में निविदा अमान्य होगी।

17. निर्धारित शुल्क के स्टाम्प पर निविदाकर्ता द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा कि समस्त शर्ते उन्हें मान्य है।

18. वाहन चालक की ड्रेस सफेद या नीले कलर की होगी। ड्रेस संबंधित एजेन्सी द्वारा प्रदाय की जावेगी।

19. रूपये 20,000/– (अक्षरी रू. बीस हजार मात्र) की अर्नेस्ट मनी डिमांड ड्राप्ट के रूप में जो आयुक्त वाणिज्यिक कर के पक्ष में देय हो, निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। नियमानुसार सीलबंद लिफाफे में निविदा प्रस्तुत की जावेगी।

    (A) अर्नेस्ट मनी का डिमाण्ड ड्रफ्ट/शपथ–पत्र।

    (B) वाहन की विभिन्न दरों का लिफाफा ।

20. निविदा को मान्य/अमान्य स्थगित करने या वाहनों की संख्या कम/ज्यादा करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश, इन्दौर के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा निर्धारित समय पर उपस्थित निविदाकर्ताओं को अथवा उनके एक अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जाएगी। सर्व प्रथम 'अ' लिफाफा को खोलकर शर्तें पूर्ण करने वाली संस्थाओं की सूची तैयार की जाएगी। जिन संस्थाओं द्वारा शर्तें पूर्ण नहीं की जा सकेगी उनका 'ब' लिफाफा नहीं खोला जाएगा।

    तैयार की गई सूची के निविदादारों को न्युनतम दरों के आधार पर प्रथम/ द्वितीय/तृतीय सफल निविदाकार घोषित किया जावेगा।

    प्रथम/द्वितीय एवं तृतीय निविदाकर्ता को छोड़कर शेष की अर्नेस्ट मनी वापस कर दी जाएगी।

21. निविदा स्वीकार होने पर सफल निविदाकार को सुरक्षा राशि बैंक गारन्टी अर्नेस्ट मनी को जोड़ते हुए कुल एक लाख रूपये जमा कराते हुए वाहन तीन दिवस में उपलब्ध कराना होगा तथा निर्धरित प्रारूप में जानकारी (वाहन तथा वाहन चालक की) संबंधित एजेन्सी द्वारा उपायुक्त (स्टोर), मुख्यालय इन्दौर को 10 दिवस में देना होगी। किराये के वाहनों की प्रक्रिया पूर्ण होने पर शेष निविदाकर्ताओं की अर्नेस्टमनी वापस कर दी जावेगी।

22. उपायुक्त मुख्यालय द्वारा आवंटित अधिकारी के नाम सहित वाहन क्रमांक व वाहन चालक का नाम सहित लिखित आदेश संस्था को प्रदाय किया जावेगा। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन की लिखित सूचना फर्म द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त की अनुमति के बिना नहीं जा सकेगा।

23. किसी भी प्रकार के विवाद/स्पष्टीकरण पर आयुक्त वाणिज्यिक कर, इन्दौर का निर्णय अन्तिम व बंधनकारी रहेगा।

उपायुक्त
वास्ते/वाणिज्यिक कर आयुक्त
मध्यप्रदेश,